झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक : –05 (यो0–7)–346/2021 ग्रा0का0वि0 1423 राँची, दिनांक 06.08.2021

प्रेषक,

डॉ० मनीष रंजन,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, झारखण्ड।

विषय : **Defect Liability Period** अन्तर्गत पथों का रख–रखाव करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग को ऐसी सूचना प्राप्त होती रहती है कि विभाग द्वारा निकटवर्ती वर्षों में निर्मित पथों का रख–रखाव नहीं होने के फलस्वरूप पथों की स्थिति जर्जर हो गयी है तथा आवागमन सुचारू नहीं है। राज्य संपोषित योजना अन्तर्गत निर्मित पथों का Defect Liability Period सामान्यतः तीन वर्ष का होता है। इन तीन वर्षों के दौरान पथों के रख–रखाव की जिम्मेवारी संबंधित संवेदक की होती है। साथ ही Defect Liability Period अन्तर्गत पथों का रख–रखाव संबंधित संवेदक द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं, इसके अनुश्रवण की जवाबदेही कार्यपालक अभियंता की है। यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि Defect Liability Period के अन्तर्गत पथों के जर्जर होने पर संवेदकों द्वारा वांछित मरम्मति भी नहीं की जाती है एवं उन्हें Security Deposit की राशि भी विमुक्त कर दी जाती है। यह अत्यंत ही गंभीर मामला है।

आगामी राज्य स्थापना दिवस (15 नवम्बर) के पूर्व ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय कि Defect Liability Period के अंतर्गत के वैसे सभी पथों की मरम्मति पूर्ण रूप से हो जाय जिन पथों की स्थिति जर्जर हो गयी है ताकि यह घोषणा किया जा सके कि पिछले तीन वर्षों में निर्माण किए गए किसी भी ग्रामीण पथ में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है तथा इस पर परिचालन सुचारू है।

साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बिना Defects को दूर करायें किसी भी संवेदक को Security Deposit की राशि विमुक्त नहीं की जायेगी। यदि संवेदक के द्वारा Defect Liability Period के अंतर्गत Defects को दूर नहीं किया जाता है तो उन्हें डिबार करने की भी कार्रवाई की जायेगी। उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।

अनुरोध है कि विभागीय पत्रांक– 1401 दिनांक– 04.08.2021 द्वारा वांछित सूचना तथा उपर्युक्त निदेश के अनुपालन के संदर्भ में कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

(डॉ० मनीष रंजन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : –05 (यो0–7)–346/2021 ग्रा0का0वि0 1423 राँची, दिनांक 06.08.2021

प्रतिलिपि–मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रांची/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर पर इसका निरंतर अनुश्रवण करेंगे तथा उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक : –05 (यो0–7)–346/2021 ग्रा0का0वि0 1423 राँची, दिनांक 06.08.2021

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।